

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

Endt. No. ^{2/6/18}
III-6-3/89-VII

Jabalpur, dt. 22/06/2018.

The Copy of Notificaion No. 1-6-89-21-B(1)/2534/2018 dated 13-06-2018 issued u/s 36 (2) of NDPS Act by the State Government, Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal,, is forwarded to :-

01. The District & Sessions Judges,
02. The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
03. The Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of Madhya Pradesh;
04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
05. Shri/Smt
06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/V II/ Registrar(Examination)/ Registrar (I. L.R.)/OSD-(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Acadamey, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
09. D.R. Confdl/S.O.(Checker/W.S./Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
10. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
11. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

Varun Punase
22/06/18
(VARUN PUNASE)
OSD(DE)

2285



राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13/06/2018

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 2480, 2534/2018.- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 29, 30, 32, 38, 40 तथा 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड
29.	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, सेशन न्यायाधीश, बैतूल	बैतूल	बैतूल
30.	श्री काशिफ नदीम खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
32.	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्वी निमाड खंडवा	पूर्वी निमाड खंडवा	पूर्वी निमाड खंडवा
38.	श्री मसूद अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	रतलाम	रतलाम
40.	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी	सिवनी	सिवनी
41.	श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
42-क.	श्री जय शंकर श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली (बैठन)	सिंगरौली (बैठन)	सिंगरौली (बैठन)."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसका कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।


13 JUN 2018

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

O.S.D. (P.S.)
Jabalpur
18-6-18
So (Checkes)

पु.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक)2480,2534/2018, भोपाल, दिनांक...। 3 / 06 / 2018
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक B/2732/III-6-3/89 Pt-VIII, दिनांक 16.05.2018 एवं ज्ञापन क्रमांक B/2901/III-6-3/89 Pt-VIII, दिनांक 21.05.2018 के संदर्भ में,
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल, छिंदवाडा, पूर्वी निमाड, खंडवा, रतलाम, सिवनी, शिवपुरी एवं सिंगरौली (बैतूल) म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर० के० वाणी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग